संख्या-60/2015/2255/सैंतीस-2-2015-1(17)/05

प्रेषक,

चन्द्र कान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-18 अगस्त, 2015

विषयः- **गाय और भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधा एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) (टी.एस.पी.) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-375/पशुधन-2/22/1/4/2015-16, दिनांक-29.07.2015 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-36/2015/1124/सैंतीस-2-2015-1(17)/05, दिनांक-15.06.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-04-गाय और भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधा एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) के मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-126.00 हजार (रूपये एक लाख छब्बीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करते हैं कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 की जिला योजनाओं के लिये जनपदवार परिव्यय निर्धारित होने पर जारी स्वीकृति को आवंटित परिव्यय में समायोजित किया जायेगा और तदनुसार संबंधित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा:-

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0 06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानकों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

(3) धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत मद से भिन्न मद में व्यय वित्तीय अनियमितता होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, पशुपालन/संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का होगा। किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) योजनान्तर्गत वस्तुओं आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नियमावली का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(5) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-04-गाय और भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधा एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.)-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(**चन्द्र कान्त पाण्डेय**)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-60/2015/2255(1)/सैंतीस-2-2015- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक/वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-60/2015/2255/सैंतीस-2-2015-1(17)/05, दि0-18 अगस्त, 2015 का संलग्नक-

गाय और भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधा एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) वर्ष 2015-16 (ट्राइबल सब प्लान)

स्वीकृत धनराशि (हजार में)

क्र0 सं0	**जनपद का नाम**	**43-सामग्री एवं सम्पूर्ति**
1.	खीरी	29.00
2.	सिद्धार्थनगर	29.00
3.	बलरामपुर	10.00
4.	बिजनौर	29.00
5.	सोनभद्र	29.00
	योग-	**126.00**

(रूपये एक लाख छब्बीस हजार मात्र)

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।